

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी— राजीव बडगूजर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या  
96 / 2024

दायर दिनांक  
06.06.2024

निर्णय दिनांक  
14.06.2024

## अनवान

1. गोवर्धनलाल पिता किशना जाति जाट आयु वयस्क निवासी देवरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. नन्दराम पिता किशना जाति जाट आयु वयस्क निवासी देवरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. मदनलाल पिता किशना जाति जाट आयु वयस्क निवासी देवरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. रतनलाल पिता किशना जाति जाट. आयु वयस्क निवासी देवरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

## प्रार्थीगण

## बनाम

1. दिनेश पिता रतनलाल जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. देवीलाल पिता भैरूलाल जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. दिनेशचन्द्र पिता उंकार लाल जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. लक्ष्मण पिता सवाईराम जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. रामचन्द्र पिता शंकरलाल जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

## अप्रार्थीगण

उपस्थिति:— अधिवक्ता श्री नन्द किशोर चौहान  
एक तरफा

प्रार्थीगण  
अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम::—

## —:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा दोवनी प्रटवार हल्का दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 159 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 1320, 1321, 1322, 1324 कुल किता 4 कुल रकबा 2.97 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काशत की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर—बहस के पडौसी खातेदारी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा—चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 14.06.2024 को अप्रार्थी सं० 1 से 5 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजीयात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर-बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज० भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को पत्थरगढी कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा दोवनी पटवार हल्का दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 159 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1320, 1321, 1322, 1324 कुल किता 4 कुल रकबा 2.97 हैक्ट० कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर पत्थरगढी किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 14.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजीव बडगूजर)  
उपखण्ड अधिकारी  
कपासन